संख्या: 96/2016/1421/41-2016-330सा0/15

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त 2016**

विषय:- पर्यटन विभाग उ0प्र0 तथा राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज एवं डेवलपमेण्ट एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का गठन 5 अगस्त, 1974 को प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व संचालन के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इस सम्बन्ध में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, निर्मित करने, लीज पर लेने, होटल/मोटल/रेस्टोरेन्ट/ट्रैवेलर्स लॉज/गेस्ट हाऊस व अन्य अवस्थापना सुविधाओं के संचालन का कार्य करता है।

2- पर्यटन निगम का कुल अथराइज्ड शेयर कैपिटल रू0 40.00 करोड़ तथा पेड-अप कैपिटल रू0 18.60 करोड़ (31 मार्च, 2013 तक) है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का 100 प्रतिशत शेयर पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का है। निगम, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश शासन का एक उपक्रम है। पर्यटन निगम पिछले 39 वर्ष की कार्य अवधि में लगभग 21 वर्ष शुद्ध घाटे में संचालित रहा है व जिन वर्ष में शुद्ध घाटा नहीं हुआ है उन वर्षों में भी निगम को परिसम्पत्तियों की क्षमता के दृष्टिगत बहुत कम लाभ हुआ है। हास्पिटेलिटी इन्डस्ट्री एक प्रतिस्पर्धात्मक इन्डस्ट्री है तथा इसके सफल संचालन के लिए व्यवसायिक प्रबन्धन आवश्यक है। हास्पिटेलिटी इन्डस्ट्री में एक निश्चित अवधि के उपरान्त रेनोवेशन व आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी बाध्यता रहती है। निगम के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने तथा पर्यटन इकाईयों में आवश्यकतानुसार पूंजी निवेश कर उच्चीकृत व आधुनिकीकरण न करने के कारण इकाईयों को क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं किया जा सका।

3- दिनांक 27.08.2008 को माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि निगम की 77 इकाईयों का विनिवेश किया जायेगा जिसमें प्रदेश सरकार का अंश 11 से 49 प्रतिशत तक रहेगा, जो 31 आवासीय इकाईयों भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हुई है उनके लिये भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4- माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 14.09.2011 को निर्णय लिया गया कि पर्यटन विभाग तथा उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम की परिसम्पत्तियों को लीज़ एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट /मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाये, जिसके अन्तर्गत पर्यटन विभाग/उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की 68 आवासीय इकाईयों को लीज़ एग्रीमेन्ट के माध्यम से तथा ऐसी

http://sahsanadesh.up.nic.in

परिसम्पत्तियों जिनकी भूमि का स्वामित्व पर्यटन निगम/पर्यटन विभाग का नहीं है, (9 आवासीय इकाईयों) को मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट के आधार पर दो अलग-अलग फेज़ में व्यवस्थित किया जायेगा। चूँकि आवासीय इकाई हरिद्वार के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अतः इस इकाई को मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट के आधार पर दिया जाये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।

5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 09.10-2013 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 07-01-2014 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

क- उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0/पर्यटन विभाग की इकाईयों की लीज एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट/मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट पर दिये जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय इसके लिये पूर्व निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुये मा0 मंत्रिपरिषद में निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जाय।

ख- पर्यटन विभाग/उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की इकाईयों को लीज एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट/मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से विकसित एवं संचालित किये जाने के लिये ट्रान्जेक्शन एडवाइजर के रूप में फीडबैक इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रा0 लि0 गुडगॉव को दिनांक 28-08-2011 को नियुक्त किया गया था। बैठक में मे0 फीडबैक इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रा0 लि0 गुडगॉव से ही सम्पर्क करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया, जिस पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व कन्सल्टेंट मे0 फीडबैक इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रा0 लि0 गुडगॉव द्वारा मौखिक रूप से इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहने पर असमर्थता व्यक्त की गयी है क्योंकि इस कार्य को करने वाले कार्मिक अब उनके यहॉ काम नही कर रहे है तथा नए लोगों को इस कार्य में लगाया जाना उनके लिये अब सम्भव नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि नए कन्सल्टेंट की नियुक्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही तत्काल की जाय।

ग- यह भी निर्णय लिया गया कि सभी इकाईयों को लीज एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट/मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट की प्रक्रिया में लिया जाय किन्तु इकाईयों की संख्या और उनकी विविधता को देखते हुए इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाना उचित होगा। नए कन्सल्टेंट की नियुक्ति के बाद विभाग एवं कन्सल्टेंट आपसी विचार-विमर्श के बाद यह संस्तुति करेंगे कि उक्त प्रक्रिया किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से की जायेगी।

घ- पर्यटन निगम की इकाईयों के मूल्यांकन हेतु दो वैल्यूअर्स मे0 नाइटफ्रैंक गुडगांव तथा मे0 कोलियर्स इंटरनेश्नल गुडगांव को दिनांक 11-06-2012 को नियुक्त किया गया था तथा इनकी मूल्यांकन रिपोर्ट दिसम्बर, 2012 में विभाग को प्राप्त हो चुकी है, किन्तु पूर्व में प्राप्त निविदाओं के न खोले जाने के कारण प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट अभी तक खोली नहीं जा सकी हैं। वैल्यूअर्स द्वारा अपने भुगतान की मांग की जा रही है। उक्त पर यह मत स्थिर हुआ है कि इस स्थिति से मा0 मंत्रिपरिषद को अवगत कराया जाये। तदोपरान्त ही मूल्यांकन रिपोर्ट खोली जाए एवं इसका भुगतान किया जाय। यह भी सहमति हुई कि नए वैल्यूअर्स की नियुक्ति की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है क्योंकि वैल्यूअर्स द्वारा दिसम्बर, 2012 में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा इस रिपोर्ट में परीक्षणोंपरान्त आवश्यक अपडेशन करके उपयोग में लाया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

ड़- बैठक में इस बिन्दु पर भी विचार-विमर्श हुआ कि इकाईयों को लीज़ एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट/मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट, समूह के आधार पर दिया जाय जैसा कि पूर्व की प्रक्रिया में किया गया था, या वर्तमान में प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग निविदा प्रक्रिया अपनाई जाय। इस बिन्दु पर यह मत स्थिर हुआ कि समस्त इकाईयों को समूह के आधार पर न लेते हुए प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग निविदा प्रक्रिया अपनाई जाय। इस प्रस्ताव को नए कन्सल्टेंट के माध्यम से विभाग द्वारा तैयार करते हुए प्रस्तुत किया जाय।

च- पर्यटन निगम मे वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के हित लाभ एवं समायोजन पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ तथा इस हेतु बैठक में तीन विकल्पों को अपनाए जाने के निर्देश दिए गए:-

- इच्छुक कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी0आर0एस0) का लाभ प्रदान किया जाय।
- वर्तमान सेवा शर्तों के आधार पर यदि नया प्रबन्धन एवं कर्मिक इच्छुक हो तो ऐसे कर्मियों की सेवाएं नया प्रबन्धन को देने पर विचार किया जाय। जो कर्मचारी निगम में रहना चाहते हैं उनको निगम के अन्य क्रियाकलापों में समायोजित किया जाय।
- निगम में अधिकांश कार्मिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हैं। अतः उनको अन्य विभागों या निगमों में समायोजित किये जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाय।

छ- प्रबन्ध निदेशक, पर्यटन निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यटन निगम की अधिकांश इकाईयों पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों की है एवं इनको पर्यटन विभाग द्वारा लीज एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट/ मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा तो इससे प्राप्त आय को शासकीय आय मानते हुए कोषागार में जमा करना होगा जिससे प्राप्त धनराशि का उपयोग सीधे तौर पर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं एवं गतिविधियों के लिए नहीं हो सकेगा। इस सम्बन्ध में बैठक में विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि जिन इकाईयों का स्वामित्व शासन या अन्य विभागों के पास है उनको उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर विचार कर लिया जाय या समस्त इकाईयों को उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को लीज पर देने की संभावना पर भी विचार किया जाय जिससे कि इस प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि को पर्यटन विकास सम्बन्धी परियोजनाओं और गतिविधियों में सीधे प्रयोग किया जा सके तथा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ऐसे हस्तान्तरण को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में भी परीक्षण कर लिया जाय।

6- पर्यटन विभाग की लीज एवं डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट/मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट के आधार पर पर्यटक इकाईयों के संचालन के सम्बन्ध में परियोजना हेतु मेसर्स ई0 एण्ड वाई0 का चयन परामर्शी के रुप में किया गया है। परियोजना की अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिनांक 15-01-2016 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गयेः-

- परियोजना के परामर्शी फर्म मेसर्स ई0 एण्ड वाई0 द्वारा निर्मित तथा न्याय विभाग द्वारा विधीक्षित मानक निविदा दस्तावेजों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया।

http://shasanadesh.up.nic.in

- परियोजना की निविदा प्रक्रिया को यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाय तथा निविदा दस्तावेजों को वेबसाईट पर निविदा आमंत्रण हेतु निर्गत किया जाय। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर प्री-बिड मीटिंग आयोजित कर यथावश्यक सुझावों को मानक दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाय तथा पी0पी0पी0 परियोजना हेतु निर्धारित टाईमलाईन के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

7- उपरोक्त के क्रम में निविदा दस्तावेजों को वेबसाईट पर निविदा आमंत्रण हेतु निर्गत किया गया तथा दिनांक 10-02-2016 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनाँक 29-02-2016 को पर्यटन विभाग की लीज एवं डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट/मैनेजमेन्ट कान्ट्रैक्ट के आधार पर पर्यटक इकाईयों के संचालन के सम्बन्ध में पी0पी0पी0 बिड मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परियोजना के परामर्शी मेसर्स ई0 एण्ड वाई0 के प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में परियोजना हेतु 10 फरवरी 2016 आयोजित प्री बिड बैठक में संभावित निविदादाता के पृच्छाओं के क्रम में निविदा दस्तावेजों में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिस पर सम्यक विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गयेः-

- 30 वर्ष के लीज अवधि के दौरान निविदादाता के संतोषजनक प्रदर्शन पर पर्यटन विभाग द्वारा परस्पर सहमति से लीज अवधि पुनः वर्षों के लिए बढाई जा सकती है।
- निविदादाता कम्पनी के निदेशक को अगर विगत तीन वर्षों में पर्यटन का अनुभव है तो निविदादाता कम्पनी का भी विगत तीन वर्षों का पर्यटन का अनुभव माना जायेगा।
- परियोजना में निवेश स्वीकृत बिजनेस प्लान के अनुरूप किया जायेगा। प्रथम वर्ष में अनुमानित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत का निवेश करना होगा। शेष राशि अगले चार वर्षों में परियोजना में निवेश की जायेगी।
- बन्द इकाईयों के लिए कन्सेशन फीस का भुगतान लीज अवधि के 18 महीना पूरा होने से या इकाई के व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने से, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगा तथा घाटे में चल रही इकाईयों के लिए कन्सेशन फीस का भुगतान लीज अवधि के 6 महीना पूरा होने से या इकाई के व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने से, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगा।
- निविदादाताओं को उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निविदा जमा करने के लिए समुचित समय देने के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2016 तक बढ़ाई जाये।
- निविदा दस्तावेजों को मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन हेतु अग्रेतर कार्यवाही पर्यटन विभाग द्वारा की जाये।

8. दिनांक 13.06.2016 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आयुक्त की अध्यक्षता में पी0पी0पी0 बिड मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक मे परियोजना के परामर्शी मेसर्स ई0 एण्ड वाई0 के प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना के निविदा दस्तावेजों में न्याय विभाग के पृच्छाओं के आलोक में किये गये आंशिक संशोधनों का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निविदा दस्तावेजों में किये गये संशोधनों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः-

http://shasanadesh.up.nic.in

- वर्तमान प्रक्रिया में सम्मिलित पर्यटन इकाईयां पर्यटन विभाग के स्वामित्व में है एवं पर्यटन निगम उक्त इकाईयों का संचालन करती है।
- 30 वर्ष की लीज़ अवधि के दौरान निविदादाता का संतोषजनक प्रदर्शन रहने पर लीज़ अवधि का 30 वर्ष से विस्तार वर्तमान लीज़ के प्राविधानों के अंतर्गत ही होगा।
- पर्यटन विभाग लीज़ के विस्तार से पूर्व आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करेगा।
- लीज़ अवधि 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- निविदादाता कम्पनी के निदेशक, जिनकी कम्पनी में नियंत्रक हिस्सेदारी है; को अगर विगत तीन वर्षों में पर्यटन का अनुभव है तो निविदादाता कम्पनी का भी विगत तीन वर्षों का पर्यटन का अनुभव माना जायेगा।
- सफल निविदादाताओं को इकाईयों के विकास के लिए अधिकतम 5 वर्ष का समय दिया जायेगा।
- लीज़ एग्रीमेन्ट, डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के साथ ही निरस्त हो जायेगा। लीज़ एग्रीमेन्ट निरस्त करने से सम्बन्धित प्राविधान लीज़ एग्रीमेन्ट में शामिल कर लिए गए है।

उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2016 तक बढ़ाई जाये।

परियोजना के अन्तर्गत चयनित 33 इकाइयों के अतिरिक्त 7 अन्य बन्द/घाटे में चल रही इकाईयों को लीज़ एवं डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट के आधार पर पी0पी0पी0 मोड पर चलाये जाने का प्रस्ताव है। जिनकी सूची निम्नवत् हैः-

1. पर्यटक आवास गृह, सुमेर सिंह किला, इटावा
2. पर्यटक आवास गृह, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर
3. पर्यटक आवास गृह, भरथरी अलीगढ़
4. पर्यटक आवास गृह, गोपीगंज संत रविदास नगर
5. पर्यटक आवास गृह, खागा, फतेहपुर
6. पर्यटक आवास गृह, सरधना मेरठ
7. उपनिदेशक पर्यटन कार्यालय, गोरखपुर (भूतल के अतिरिक्त)

9- माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम मे निर्गत शासनादेश संख्या 77/3056/41-2014-6 सा0/11 दिनांक 13.12.2014 का प्रस्तर 2 (घ) निम्नलिखित हैः-

(घ) नए कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति के बाद विभाग एवं कन्सल्टेंट द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त बन्द एवं घाटे में चल रही इकाईयों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत लीज/मैनेजमेंट कान्ट्रैक्ट के आधार पर दिये जाने की शर्त निम्नानुसार होगीः-

1. इन इकाईयों को 30 वर्ष के लिए लीज/मैनेजमेन्ट कान्टै^{a}क्ट पर दिया जाना है, जिसको पुनः आगामी 30 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।
2. उच्चतम लीज/कन्सेशन फीस देने वाले बिडर्स को चयनित किया जायेगा।
3. लीज रेन्ट/कन्सेशन फीस मे 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की जायेगी।
4. विडर्स को 5 वर्ष के अन्दर इकाईयों को विकसित करना होगा।
5. 5 वर्ष के पश्चात वार्षिक लीजरेन्ट/कन्सेशन फीस अथवा कुल व्यवसाय की 5 प्रतिशत धनराशि, इनमें से जो भी अधिक होगी, लीजरेन्ट के रूप में देय होगी।

http://srisamadesh.up.nic.in

6. बिडर्स एक इकाई अथवा समूह इकाईयों के लिए बिड कर सकता है।

10. अतः उपरोक्त के क्रम में परियोजना क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

10.1 शासनादेश संख्या 77/3056/41-2014-6 सा/11 दिनांक 13.12.2014 के प्रस्तर 2 (घ) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाना:-

(घ) नए कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति के बाद विभाग एवं कन्सल्टेंट द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त बन्द एवं घाटे में चल रही इकाईयों को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत लीज एवं डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट के आधार पर दिये जाने की शर्त निम्नानुसार होगीः-

1. इन इकाईयों को 30 वर्ष के लिए लीज एवं डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट पर दिया जाना है, जिसको पुनः आगामी 30 वर्षो के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।
2. उच्चतम कन्सेशन फीस देने वाले बिडर्स को चयनित किया जायेगा। लीज रेन्ट रू0 01 वार्षिक होगी।
3. कन्सेशन फीस मे 05 प्रतिशत अथवा इन्डेक्सेशन पद्धति से प्राप्त दर, जो भी अधिक हो की दर से प्रतिवर्ष की वृद्धि की जायेगी।
4. बिडर्स को 5 वर्ष के अन्दर इकाईयों को विकसित करना होगा।
5. 5 वर्ष के पश्चात वार्षिक कन्सेशन फीस अथवा कुल व्यवसाय की 5 प्रतिशत धनराशि, इनमें से जो भी अधिक होगी, कन्सेशन फीस के रूप में देय होगी।
6. बिडर्स एक इकाई अथवा समूह इकाईयों के लिए बिड कर सकता है।

10.2 उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राविधानो पर अनुमोदनः-

1. 30 वर्षों की लीज अवधि के दौरान निविदादाता के संतोषजनक प्रदर्शन पर पर्यटन विभाग द्वारा परस्पर सहमति से लीज अवधि पुनः 30 वर्षों के लिए बढाई जायेगी।
2. निविदादाता कम्पनी के निदेशक, जिनकी कम्पनी में नियंत्रक हिस्सेदारी है को अगर विगत तीन वर्षों में पर्यटन का अनुभव है तो निविदादाता कम्पनी का भी विगत तीन वर्षों का पर्यटन का अनुभव माना जायेगा।
3. परियोजना में निवेश स्वीकृत बिजनेस प्लान के अनुरूप किया जायेगा। प्रथम वर्ष में अनुमानित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत का निवेश करना होगा। शेष राशि अगले चार वर्षों में परियोजना में निवेश की जायेगी।

4. बन्द इकाईयों के लिए कन्सेशन फीस का भुगतान लीज अवधि के 18 महीना पूरा होने से या इकाई के व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने से, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगा तथा घाटे में चल रही इकाईयों के लिए कन्सेशन फीस का भुगतान लीज अवधि के 6 महीना पूरा होने से या इकाई के व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने से, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगा।

10.3 परियोजना हेतु चयनित 33 इकाईयो के अतिरिक्त 7 अन्य बन्द/घाटे में चल रही इकाईयों को लीज़ एवं डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट के आधार पर पी0पी0पी0 मोड पर चलाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया जिनकी सूची निम्नवत् हैः-

1- पर्यटक आवास गृह, सुमेर सिंह किला, इटावा
2- पर्यटक आवास गृह, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर
3- पर्यटक आवास गृह, भरथरी अलीगढ़
4- पर्यटक आवास गृह, गोपीगंज संत रविदास नगर

http://shasanadesh.up.nic.in

5- पर्यटक आवास गृह, खागा, फतेहपुर

6- पर्यटक आवास गृह, सरधना मेरठ

7- उपनिदेशक पर्यटन कार्यालय, गोरखपुर (भूतल के अतिरिक्त)

10.4 परियोजना हेतु तैयार लीज एवं डेवलेपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर आधारित मानक निविदा दस्तावेजों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

10.5 परियोजना के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

11. उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट- **uptourism.gov.in** पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

संख्या:96/2016/1421/41-2016 तद् दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नवलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकक कार्यवाही हेतु प्रेषितर:

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
4- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र शासन।
9- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
10- समस्त मण्डयलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11- समस्त उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in